न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/127/2021	08–10–2021	09–09–2022

01– कानाराम पुत्र मूला जाति गुर्जर,
02– सूरजा पुत्र मूला जाति गुर्जर,
03– रामेश्वर पुत्र मूला जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।
02– पटवारी हल्का खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 08.12.2014 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 69/2014

उपस्थितः–

01– श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट
01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 08.12.2014 प्रकरण संख्या 69/2014 जिसके द्वारा सम्वत 2071 में अपीलान्ट को ग्राम झझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 1801 रकबा 2.83 है0 में से 0.63 है0 किस्म चारागाह में बाजरा की फसल काश्त किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बेदखली/पैनल्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम झझारपुरा तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 1801 में किसी किस्म का कोई कब्जा कभी नही किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्ट द्वारा बोई गयी है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर ही काश्त करता है, जो ग्राम झझारपुरा में ही आराजी खसरा न0 1834 रकबा 2.78 है0 है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया, न ही राजकीय भूमि पर कोई फसल की बुवाई की गयी है। अपीलान्ट शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी की आराजी पर ही काश्त करते है, पटवारी हल्का की अपीलान्ट के साथ आपसी वोलाचाली के कारण पटवारी हल्का ने वैमन्स्य पूर्ण मानसिकता रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गयी है। तहत अदालत द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पटवारी हल्का खेडा की रिपोर्ट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आधार पर पारित किया गया है, जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अपने निजी हित के आशय से बनायी गयी थी, जो रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर आधारित थी। तहत अदालत द्वारा अपने आदेश में पूर्व में भी इस प्रकार के अतिक्रमण की बाबत तथ्य दर्ज किये है, जिनकी जानकारी अपीलान्ट को नही है। अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नही किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण तहत अदालत द्वारा पारित आदेश अप्रास्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 1801 रकबा 2.83 है0 किस्म चारागाह जो धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि ग्राम झझारपुरा में स्थित आराजी खसरा न0 1801 में किसी किस्म का कोई कब्जा कभी नही किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्ट द्वारा बोई गयी है। अपीलान्ट ग्राम झझारपुर में स्थित अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 1834 रकबा 2.78 है0 में काश्त करता है। अपीलान्ट के साथ आपसी बोलाचाली के कारण पटवारी हल्का ने वैमनस्य पूर्ण मानसिकता रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गयी है। तहत अदालत द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पटवारी हल्का खेडा की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अपने निजी हित के आशय से बनायी गयी थी, जो रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर आधारित थी। तहत अदालत द्वारा अपने आदेश में पूर्व में भी इस प्रकार के अतिक्रमण की बाबत तथ्य दर्ज किये है, जिनकी जानकारी अपीलान्ट को नही है। अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नही किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमीयो के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त रूप से अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किये गये। तहत अदालत की आदेशिका दिनाक 08.12.2014 को अतिक्रमी काना उपस्थित हुआ लेकिन कोई जवाब पेश नही किया गया अतिक्रमी द्वारा अपना अनाधिकृत कब्जा किया जाना स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बयान पटवारी दर्ज किये गये मुताबिक बयान पटवारी के अतिक्रमी काना, सूरजा, रामेश्वर पिसरान मूला गूर्जर द्वारा ग्राम झझारपुर में स्थित आराजी खसरा न0 1801 किस्म चारागाह में बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है, इनके द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिनको पूर्व में भी मौके से बेदखली की कार्यवाही की गयी थी, अब पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। कार्यवाही की जावे। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में फर्द नीलामी व बेदखली की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2014 यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति

अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)